राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4823/2022

इन्द्र मोहन सिंह छाबड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शिक्षा सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.09.2022
आदेश की दिनांक : 15.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सौरभ चावला, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 17.09.2012 को पंचायती राज विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक गणित के पद पर हुई थी तथा 2018 में पदोन्नति के बाद अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्टेशन, जिला चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाका मदार, जिला अजमेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित में किया गया है। अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल नहीं दिये जाने का अंकन है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपने स्थानान्तरण के लिए किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे तथा एक वयोवृद्ध माता है, जिसकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है।

3. अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाका मदार, जिला अजमेर में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्टेशन, जिला चित्तौडगढ़ में वर्ष 2018 से कार्यरत है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाका मदार, जिला अजमेर किया गया है, जो स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं मानी जा सकती।

जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत कठिनाईयों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव (1995) 3 एस.सी.सी. 270 के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf.*

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य

(ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य